पत्रांक 977 /

प्रेषक :–

असैनिक शल्य चिकित्स सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पलामू।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल

मेदिनीनगर, दिनांक 27/05/16/

विषय :– **पलामू जिले में मेदिनीनगर वन प्रमण्डल अन्तर्गत नया चिकित्सा महाविद्यालय हेतु वन भूमि (Deemed Forest) अपयोजन हेतु 9 बिन्दुओं पर Under Taking समर्पित करने के संबंध में।**

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति यथावत रहेगी।
2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के अनुरूप प्रस्तावित वनभूमि के NPV का भुगतान हेतु राशि इस कार्यालय के पत्रांक 760 दिनांक 28.04.2016 द्वारा विभाग से मांग की गई है, राशि प्राप्त होते ही समर्पित कर दी जायेगी।
3. NPV दर में वृद्धि होने से इसका भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा।
4. प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के उपरान्त खाती स्थलो पर यथा संभव पर्याप्त संख्या में वनरोपण विभाग द्वारा किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि झारखण्ड CAMPA के खाता में जमा किया जायेगा।
6. प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के क्रम में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।
7. प्रस्ताव में उल्लिखित प्रयोजन से इतर अन्य प्रयोजन के लिए वनभूमि का उपयोग प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नहीं किया जायेगा।
8. भविष्य में यदि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त शर्त लगाई जाती है, तो प्रयोक्ता अभिकरण को इसका अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
9. किसी शर्त का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी उचित माध्यम से वन (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत जारी दिशा–निदेश की कंडिका 1.9 के अनुरूप कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

विश्वासभाजन

27/5/16

(डा0 बेनेदिक्त मिंज)
असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पलामू।

27-5-16

ज्ञापांक 977 / मेदिनीनगर, दिनांक 27-5-2016 /

**प्रतिलिपि** :– उपायुक्त पलामू को सूचनार्थ प्रेषित।
**प्रतिलिपि** :– प्रधान सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ प्रेषित।

27/5/16

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पलामू।

27-5-16